

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-17/2020

आदेश दिनांक

10.02.2020

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री मनोज भारद्वाज, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
श्री राजवीर शर्मा, अधिवक्ता केवीयटर प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण को सुना गया।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता श्री राजवीर शर्मा द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

शेष प्रत्यर्थीगण को अपील ग्रहण के नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-23

सत्यमेव जयते